राजस्थान सरकार

15

7

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

क्रमांकः जविप्रा / निस / सचिव / 2001 / डी–213 दिनांकः 1.11.2001

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 10 एवं उसके प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा बनाये गये "जयपुर विकास प्राधिकरण (समितियों के गठन एवं कर्तव्य निर्धारण) विनियम, 2001" के अधीन जयपुर विकास प्राधिकरण निम्नानुसार समितियों का गठन करता हैः–

1. प्रोजेक्ट एवं वर्क्स समितिः–

जयपुर विकास आयुक्त	अध्यक्ष
जिला कलक्टर, जयपुर	सदस्य
निदेशक, अभियांत्रिकी, जविप्रा	सदस्य
मुख्य नगर नियोजक	सदस्य
निदेशक, वित्त, जविप्रा	सदस्य
श्री नवल किशोर शर्मा	सदस्य
श्री सहदेव शर्मा	सदस्य
श्री उदय सिंह राठौड़	सदस्य
श्री तकीउद्दीन	सदस्य
प्राधिकरण के सचिव	सचिव

नोटः– यह समिति समस्त प्रकार के प्रोजेक्ट्स पर वित्तीय एवं तकनिकी स्वीकृति प्राधिकरण की ओर से प्रदान कर सकेगी किन्तु शर्त यह है कि अधिनियम की धारा 8 क्लाज (vi) के अन्तर्गत प्राधिकरण के आयुक्त एक करोड़ तक के प्रावधान में उल्लेखित कार्यों के लिए अपने अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे।

2. अनापत्ति प्रमाण–पत्र समितिः–

जिला कलक्टर, जयपुर	अध्यक्ष
अति.आयुक्त (भूमि), जविप्रा	सदस्य
वरिष्ठ नगर नियोजक, जविप्रा	सदस्य
श्री राजेन्द्र मावर	सदस्य
श्री अशोक तंवर	सदस्य

नोटः– प्राधिकरण के सचिव इस समिति के सचिव के कर्तव्य का निर्वहन करेंगे वे यदि चाहें तो किसी अन्य अधिकारी को भी इस कार्य के निर्वहन के लिए निर्देशित कर सकेंगे। यह समिति प्राधिकरण की ओर से समस्त प्रकार के अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए अधिकृत होंगे।

3. भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समितिः–

शासन सचिव, यू.डी.एच., राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
निदेशक, वित्त, जविप्रा	सदस्य
निदेशक, अभियांत्रिकी, जविप्रा	सदस्य

171

अति.निदेशक (भूमि), जविप्रा	सदस्य
वरिष्ठ नगर नियोजक, जविप्रा	सदस्य
श्री सहदेव शर्मा	सदस्य
श्री भगवान सहाय सैनी	सदस्य

नोटः— 1. प्राधिकरण के सचिव इस समिति के सचिव के कर्तव्य का निर्वहन करेंगे वे यदि चाहें तो किसी अन्य अधिकारी को भी इस कार्य के निर्वहन के लिए निर्देशित कर सकेंगे।

2. यह समिति समस्त प्रकार के भूमि एवं सम्पत्ति का निस्तारण करेगी।

4. **भवन मानचित्र समितिः—**

मुख्य नगर नियोजक राजस्थान	अध्यक्ष
सचिव, जविप्रा	सदस्य
अति.आयुक्त (भूमि), जविप्रा	सदस्य
श्री अशोक तंवर	सदस्य
श्री ज़कीउद्दीन अहमद	सदस्य
श्री राजेन्द्र मावर	सदस्य

नोटः— 1. प्राधिकरण के सचिव इस समिति के सचिव के कर्तव्य का निर्वहन करेंगे वे यदि चाहें तो किसी अन्य अधिकारी को भी इस कार्य के निर्वहन के लिए निर्देशित कर सकेंगे।

2. यह समिति समस्त प्रकार के भवन निर्माण सम्बन्धित स्वीकृतियों के प्रकरण भवन निर्माण विनियमों के अनुरूप निष्पादित करेगी तथा निर्माण सम्बन्धित वाइलेशन के नियमन योग्य मामलों का निस्तारण भी कर सकेगी तथा कृषि भूमि के नियमन का तकनिकी अनुमान कर तथा राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात सम्बन्धित डिप्टी कमीश्नर को नियमन हेतु आदेश जारी करेगी एवं निर्धारित सीमा में भू—उपयोग परिवर्तन हेतु प्रकरण पर निर्णय करेगी।

उपरोक्त समस्त समितियों की प्रोसिडिंग्स की प्रतियां अवलोनार्थ अध्यक्ष, जविप्रा को भी प्रस्तुत की जाऐगी एवं संबंधित समिति के अध्यक्ष बैठक की कार्यवाही वृतान्त को ऑथेन्टिकेट करेंगे।

प्राधिकरण अध्यक्ष की आज्ञा से

(अतुल शर्मा)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।